

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 612]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 26 नवम्बर 2010—अग्रहायण 5, शक 1932

लोक सेवा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 16 नवम्बर 2010

क्र. एफ 2-18-2010-इकसठ.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 10 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी (आवेदन, अपील, पुनरीक्षण, शास्ति की वसूली तथा प्रतिकर का भुगतान) नियम, 2010 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 6 में, शब्द “नोटिस बोर्ड” के स्थान पर, शब्द “नोटिस बोर्ड, जो प्ररूप 2 में होगा,” स्थापित किए जाएं.

No. F 2-18-2010-LXI.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 10 of the Madhya Pradesh Lok Sewaon Ke Pradan Ki Guarantee Adhinyam, 2010 (No. 24 of 2010), the State Government, hereby makes the following amendment in the Madhya Pradesh Lok Sewaon Ke Pradan Ki Guarantee (Avedan, Appeal, Punrikshan, Shasti Ki Vasuli Tatha Pratikar Ka Bhugtan) Niyam, 2010, namely :—

AMENDMENT

In the said Rules, in rule 6, for the words “notice board”, the words “notice board, which shall be in Form 2,” be substituted.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वीना वर्मा, उपसचिव.